

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी, राँची।

पत्रांक-03/छात्रवृत्ति(प्री-मैट्रिक)-13/2023 1840

प्रेषक,

राकेश चन्द्र,
अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 20-10-2023

विषय:- शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की तिथि विस्तारित करने के संबंध में।

प्रसंग- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-2583, दिनांक-29.08.2022 (अधिसूचना संख्या-2584, 2585 एवं 2586, दिनांक-29.08.2022) एवं कार्यालय पत्रांक-1298, दिनांक-20.07.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु झारखण्ड राज्य के विद्यालयों में प्री-मैट्रिक पाठ्यक्रम (कक्षा-1 से 10) में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन प्रक्रिया की तिथि निम्नरूपेण विस्तारित किया जाता है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं का INO द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर प्रविष्टि एवं आवेदन का सत्यापन।	20.02.2024
2.	DNO स्तर पर संबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया।	31.03.2024

अतः निदेश है कि अपने जिलान्तर्गत सभी योग्य लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
20/10/23

अवर सचिव।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति(प्री-मैट्रिक)-13/2023- 1840

राँची, दिनांक-20-10-2023

प्रतिलिपि:-Director General, Central For Good Governance को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/23

अवर सचिव।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति(प्री-मैट्रिक)-13/2023- 1840

राँची, दिनांक-20-10-2023

प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/23

अवर सचिव।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति(प्री-मैट्रिक)-13/2023- 1840

राँची, दिनांक-20-10-2023

प्रतिलिपि:-सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/23

अवर सचिव।